न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 02/2024
जीसीएमएस सख्या – (2024/25)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

1. किशोर सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 52 वर्ष
2. जसवंत सिंह पुत्र रामसिंह उम्र 46 वर्ष
3. राजूसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 44 वर्ष
4. अर्जुनसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 43 वर्ष
5. कानसिंह पुत्र रणजीतसिंह उम्र 70 वर्ष
6. पेपसिंह पुत्र रणजीतसिंह उम्र 68 वर्ष
7. अचलसिंह पुत्र रणजीतसिंह उम्र 66 वर्ष
8. आम्बसिंह पुत्र उगमसिंह उम्र 58 वर्ष
9. पर्वतसिंह पुत्र मालमसिंह उम्र 60 वर्ष

जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम चामू, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. श्रीमती खम्मा कंवर पत्नी श्री सांगसिंह उम्र 39 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम बाघथल, तहसील बायतु, जिला बाडमेर।
2. ग्राम पंचायत चामु जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत चामू, पंचायत समिति, बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 3237 दिनांक 20.10.2017 मिसल संख्या 28/2017–18 ग्राम पंचायत चामू द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत (प्रार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री बरकत खां मेहर, श्री सलीम खां मेहर (अप्रार्थी संख्या 1) अनुपस्थित।
3. अधिवक्ता श्री शैतान राम चौधरी (अप्रार्थी सं. 02 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

—निर्णय— दिनांक : 28.08.2025

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत चामू द्वारा जारी पट्टा संख्या 3237 दिनांक 20.10.2017, मिसल सं. 28/2017–18 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य प्रार्थीगण अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का कब्जासुदा एवं पुश्तैनी कच्चा मकान व चार दीवारी का भूखण्ड ग्राम चामू की आबादी भूमि में आया हुआ है, जिसमें वे 200 वर्षों से परिवार सहित निवास कर रहे है, फिर भी ग्राम पंचायत चामू ने प्रत्यर्थी संख्या 1 खम्मा कंवर के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से नियमों की पालना किये बगैर प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि का पट्टा जारी कर दिया है। यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराना कब्जा बताकर जारी किया है, जबकि प्रत्यर्थी 1 का कभी भी इस भूखण्ड पर कब्जा नहीं रहा तथा वह चामू गांव में निवास नहीं करती है बल्कि ग्राम बाघथल, जिला बालोतरा में रहती है। प्रत्यर्थी 1 के साथ–साथ उसके पति सांगसिंह को भी 200 वर्ग गज का पट्टा चामू में जारी किया है तथा एक ही परिवार को 400 वर्गगज का पट्टा जारी किया है। दिनांक 30.11.2021 को सांगसिंह ने किराये के गुण्डे भेजकर प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि खाली करवाने के प्रयास करने पर तथा एससी/एसटी एक्ट का झूठा मुकदमा करने की धमकी देने पर इस पट्टे की जानकारी हुई है। यह पट्टा बिना मौका निरीक्षण किये, बिना सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये तथा बिना ग्राम पंचायत की मिटिंग में निर्णय लिये जारी किये गये है, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर ग्राम पंचायत चामू का अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम पंचायत चामू ने अपने पत्रांक ग्रापचा/2023–24/140 दिनांक 12.09.2023 से इस न्यायालय को अवगत कराया है कि पट्टा संख्या 3237 दिनांक 20.10.2017, मिसल संख्या 28/2017–18 व कार्यवाही रजिस्टर 2017–18 का रिकॉर्ड तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा चार्ज में नहीं दिया है, इस कारण से ग्राम पंचायत वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में असमर्थ है।
4. प्रत्यर्थी संख्या 1 खम्मा कंवर की ओर से श्री बरकत खां मेहर व श्री सलीम खां मेहर, एडवोकेट ने दिनांक 20.06.2022 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 20.06.2022, 20.07.2022, 18.10.2022, 06.12.2022, 08.07.2024 उपस्थित अदालत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आए तथा उसके पश्चात् उपस्थिति नहीं दी तथा न ही बहस की तथा न ही जवाब पेश किया है।

5. बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मूलसिंह गहलोत ने याचिका में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी 1 व उसके पति सांगसिंह को चामू में पट्टे जारी किये है, ये दोनों ही चामू में रहते ही नहीं है, बालोतरा जिला के बाघथल गांव में रहते है, बाघथल का ही जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड बने हुए है। सरपंच ग्राम पंचायत, चामू ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि सांगसिंह व खम्माकंवर चामू में नहीं रहते है। इनका वोटर लिस्ट में चामू में नाम नहीं है। पूरे गांव ने दिनांक 30.11.2021 को मिटिंग कर इस तथ्य की पुष्टि की है, कि खम्मा कंवर व सांगसिंह के नाम ग्राम सेवक व पूर्व सरपंच मूलाराम भील ने फर्जी पट्टा बनाया है। हकीकत में यह भूमि सिमरथ सिंह के परिवार के कब्जे में है। एक ही परिवार को 400 वर्गगज का पट्टा दिया है, जो गलत है। हमने बडी मुश्किल से पट्टे की प्रति सांगसिंह से प्राप्त की है तथा पंचायत ने पट्टे का रिकॉर्ड नहीं होने की रिपोर्ट भेजी है। पट्टा जारी करने का कोई आधार नहीं है। अतः पट्टा खारिज किया जावे।

6. अप्रार्थी सं. 02 सरपंच, ग्राम पंचायत चामू की ओर से जरिये अधिवक्ता निगरानी का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पूर्व सरपंच द्वारा उक्त पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध प्रकिया अपना कर जारी किया गया है। विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाकर पूर्व सरपंच द्वारा जारी पट्टा निरस्त योग्य है। न्यायालय विधि प्रकिया अनुसार आदेश पारित करावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दौराने बहस दिये गये कथनों व तर्कों पर मनन कर उसका भली भांति अवलोकन किया तथा विधिक प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की:—

a) राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक में आबादी भूमि पर पट्टे जारी करना/आवंटन करने के प्रावधान व प्रकिया निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार आवंटन चाहने वाले व्यक्ति को ग्राम पंचायत की भूमि की विशिष्ठताएं अंकित करते हुए आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करने पर तीन वार्ड पंचों/उप सरपंच को मौका निरीक्षण करने व नियमन/आवंटन करने की सिफारिशें ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करेगी तथा ग्राम पंचायत सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम जनता से भूमि आवंटन बाबत आपत्तियां एक माह की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अवधि में प्राप्त करेगी तथा आपत्तियों का निरतारण करके, अगर प्रकरण आवंटन योग्य पाया जाता है, तो पट्टा जारी करेगी। उक्त प्रकिया भूमि की सार्वजनिक निलामी, आपसी बातचीत व नियमितिकरण के (नियम 157) में लागू होगी।

b) प्रार्थीगण ने जिस पट्टा की फोटोकॉपी पेश की है, वह नियम 157 (2) के तहत प्रारूप–23 ख के तहत पट्टा संख्या 3237 दिनांक 20.10.2017, बुक सं. 65, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.10.2017 से 200 वर्गगज का, मिसल संख्या 28/2017–18 से जारी किया गया है, जिस पर सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है तथा यह फोटोप्रति अनिल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चामू द्वारा दिनांक 07.12.2021 को प्रमाणित की गई है, जबकि ग्राम पंचायत ने पत्रांक 140 दिनांक 12.09.2023 से इसं न्यायालय को अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत में इस पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा इस पत्र पर अनिल गोस्वामी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चामू के हस्ताक्षर है। जब ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टे की फोटोप्रति को अनिल, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किस आधार पर दिनांक 07.12.2021 को प्रमाणित की है। इसकी जांच विकास अधिकारी, पं.स. चामू कर कार्यवाही करे।

c) चूंकि प्रत्यर्थी 1 को नोटिस तामिल हो गया था तथा उसकी ओर से श्री बरकत खां मेहर, एडवोकेट ने इस न्यायालय में उपस्थिति दी, परंतु न तो लिखित जवाब पेश किया तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टा जारी करने में अपनाई गई प्रकिया से संबंधित कार्यवाही के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतियां पेश की तथा न ही ग्राम पंचायत ने मूल रिकॉर्ड इस न्यायालय को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया तथा न ही प्रार्थीगण के आरोपों का प्रत्यर्थी 1 ने अपने साक्ष्यों/सबूतों से खण्डन किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने प्रत्यर्थी 1 को चामू का निवासी नहीं होने बाबत सरपंच का व ग्रामवासियों का निर्णय पेश किया एवं ग्राम बाघथल जिला बालोतरा में निवासी होने के सबूत रूप में परिवार कार्ड, जन आधार कार्ड व आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश की है, जिससे प्राथमिक तौर पर यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी 1 ग्राम चामू में निवासरत नहीं है।

d) चूंकि नियम 157 में पचास वर्षों से अधिक पुराना मकान होना व निवासी होना साक्ष्य से साबित होने पर ही पट्टा नियमितिकरण का जारी किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जा सकता है। अतः उक्त प्रावधान के सपोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत चामू द्वारा जारी किया गया विवादास्पद पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया है तथा आबादी भूमि का नियमों का उल्लंघन कर व्यनन किया है।

8. अपीलाधीन पट्टा नियमों के विपरीत जारी करने से निरस्त योग्य है। अतः यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चामू द्वारा जारी पट्टा कमांक 3237 दिनांक 20.10.2017 बुक संख्या 65 मिसल संख्या 28/2017–18, क्षेत्रफल 200 वर्गगज, बहक खम्मा कंवर पत्नी सांगसिंह, संकल्प संख्या 02 को खारिज किया जाता है। इस प्रकार उक्त निरस्त किये गये पट्टे से संबंधित जितने भी व जो भी संकल्प/प्रस्ताव ग्राम पंचायत चामू ने पारित किये है, उन्हे भी अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किये जाते है।

9. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत चामू व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चामू, जोधपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड को संबंधित पूर्व सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त किया जाकर वर्तमान ग्राम पंचायत को चार्ज में उपलब्ध कराया जावे तथा पट्टे व रिकॉर्ड में पट्टा निरस्तीकरण का इस न्यायालय के इस आदेश का पृष्ठांकन किया जाकर पालना रिपोर्ट, तीन माह में आवश्यक रूप से इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

10. प्रस्तुत निगरानी में अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) निस्तारित किये जाते है।

11. पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर